

मु0न0 27 / 2018

वादी-

1. महेंद्रसिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत निवासी खानपुर मांजरा तहसील जायल जिला-नागौर।

प्रतिवादीगण-

1. विक्रमसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
2. सुल्तानसिंह पुत्र पन्नेसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खानपुर मांजरा तहसील जायल जिला-नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

**वाद बाबत बटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955**

निर्णय दिनांक :- 10.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिस्ताल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी महेंद्रसिंह के हक बंट में मौजा खानपुर मांजरा का खेत ख नं 92 रकबा 8.10 बीघा, खसरा न. 78 रकबा 10.15 बीघा, ख. नं. 90 रकबा 26.13 बीघा व ख. नं. 91 रकबा 8.03 बीघा रखे जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 विक्रमसिंह के हक बंट में मौजा खानपुर मांजरा का खेत ख नं 135/220 रकबा 2.09 बीघा, ख. नं. 57 रकबा 6.12 बीघा, ख. नं 58 रकबा 13 बीघा, ख. नं. 75 रकबा 20 बीघा, ख. नं. 76 रकबा 13 बीघा व ख नं 130 रकबा 25.18 बीघा रखे जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 सुल्तानसिंह के हक बंट में मौजा खानपुर मांजरा का खेत ख नं 55 रकबा 10.18 बीघा तथा ख नं 85 रकबा 04.13 बीघा रखे जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार जायल को डिक्की पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।
 लीज x मुकदमा x बन्द x खर्च इस मुकदमें नये सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल
 योग तक x को अदा करें। बर्नोत्त नरे दस्तखत व नुहर अदालत के आज दिनांक 10.05.2018 को जारी किया गया।

(सुरेंद्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल
 उपखण्ड अधिकारी, जिला नागौर

नं	काम	दिनांक	मुकदमा
स्टाम अजी दाद			स्टाम वकालतनाम
स्टाम इशानलनाम			स्टाम अजी
स्टाम राज नादर			नहनलाना वकील
शान्दान इलीज			खर्च गवाहन
खर्च गवाहन			फीस कमीशन
फीस कमीशन			बन्द इतरय हुक्मीजान
बन्द इतरय हुक्मीजान			मुकदमा
मुकदमा			

(सुरेंद्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल
 उपखण्ड अधिकारी
 जायल, जिला नागौर